प्रभ<sub>ा</sub> PEGD. NO. D. L.-33004/99

ग्राच्या वितरण ग्राक्ट

The Gazette of I

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

प्रभारी रा• वि• एक्इ

सं. 5101 No. 510]

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 19, 2004/कार्तिक 28, 1926 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 19, 2004/KARTIKA 28, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 7 जुलाई, 2004

सं. फेमा 120/आरबी-2004

सा.का.नि. 757(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के उप-खण्ड (क) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी 2000 के अधिक्रमण में भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभृति के अन्तरण अथवा निर्गम के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

#### संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1.

- इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण i) अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहा जाएगा।
- ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे। ii)

3464 GI 2004

(1)

#### 2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- क) "अधिनियम" से अभिप्रेत विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) होगा;
- ख) "प्राधिकृत व्यापारी" से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया व्यक्ति;
- ग) "अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट" (एडीआर) से अभिप्रेत है भारत में निगमित किसा कंपनी के रुपये शेयर पर किसी बैंक अथवा संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) में किसी डिपोजिटरी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति से होगा;
- घ) "स्थायी कार्य" से अभिप्रेत है किसी ऐसी भारतीय संस्था (एंटिटी) द्वारा किए गए कार्यों से है जो उसके पिछले लेखा वर्ष के कुल औसत व्यापार का कम-से-कम 50% हिस्सा हो;
- अशरत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश" से अभिप्रेत है किसी विदेशी संस्था की पूंजी में अंशदान अथवा संस्था के बहिर्नियम में उल्लिखित अभिदान अथवा बाजार खरीद या निजी नियोजन या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी विदेशी संस्था के वर्तमान शेयरों की खरीद में किए गए निवेश से है, लेकिन इसमें उस संस्था में संविभाग निवेश अथवा शेयर बाजार के जरिए निवेश अथवा निजी निवेश शामिल नहीं होगा;
- च) "वित्तीय प्रतिबद्धता" से अभिप्रेत है किसी भारतीय पार्टी द्वारा या उसकी ओर से उसके विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ईक्विटी और ऋण के रूप में सीधे निवेश की राशि और उसके द्वारा जारी गारंटियों के 50 प्रतिशत से है।
- छ) "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड" से अभिप्रेत है किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी बांड जो विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त हो तथा जिससे संबंधित मूलराशि और ब्याज विदेशी मुद्रा में देय हो;
- ज) "फार्म" से अभिप्रेत है इन विनियमों के साथ संलग्नक के रूप में दिए गए फार्म;

- हा) "ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट" से अभिप्रेत है भारत में निगमित किसी कंपनी के रुपया शेयरों पर भारत से बाहर स्थित किसी बैंक अथवा डिपोजिटरी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति;
- ञ) "मेजबान देश" से अभिष्रेत वह देश से है, जहां किसी भारतीय पार्टी से सीधा निवेश प्राप्त करने वाली विदेशी संस्था पंजीकृत अथवा निगमित है;
- ट) "भारतीय पार्टी" से अभिप्रेत है भारत में निगमित अथवा संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित निकाय अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत भागीदारी फर्म जो विदेश स्थित संयुक्त उपक्रम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निश करती है, इसमें रिजर्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य संस्था भी शामिल है: बशर्ते जब ऐसे एक से अधिक ऐसी निगमित कंपनी, निकाय अथवा संस्था विदेशी संस्था में प्रत्यक्ष निवेश करती हैं तो ऐसी सभी कंपनियां अथवा निकाय अथवा संस्था मिलकर 'भारतीय पार्टी' कहलाएंगी;
- उ) "निवेश बैंकर" से अभिप्रेत है यूएसए में सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अथवा यूके में फिनांसियल सर्विसेज अथॉरिटी अथवा जर्मनी, फ्रान्स, सिंगापूर अथवा जापान में उचित नियंत्रण प्राधिकारी के साथ पंजीकृत निवेश बैंकर
- ड) "संयुक्त उद्यम" से अभिप्रेत है उस मेजबान देश के कानूनों और विनियमों के अनुसार गठित, पंजीकृत अथवा निगमित विदेशी संस्था जिसमें भारतीय पार्टी सीधा निवेश करती है;
- ढ) "पारस्परिक निधि" से अभिप्रेत है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23घ) में संदर्भित पारस्परिक निधि;
- ण) "निवल मूल्य" से अभिप्रेत है चुकता पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधियां;
- त) "भूमि भवन कारोबार" से अभिप्रेत है भूमि भवन के क्रय-विक्रय अथवा अंतरणीय विकास अधिकारों के कारबार, लेकिन इसमें शहरों का विकास, आवासीय/ वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों का निर्माण शामिल नहीं है;
- थ) "पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी" से अभिप्रेत है ऐसी विदेशी संस्था जो मेजबान देश के कानूनों और विनियमों के अनुसार गठित, पंजीकृत अथवा निगमित हो और जिसकी समस्त पूंजी भारतीय पार्टी द्वारा धारित हो;

- प्कृषि विधियों" से अभिप्रेत है "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियंम,
   1981" में यथा परिभाषित कृषि गतिविधियां;
- ध) इन विनियमों में उपयोग किए गए किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

## 3. विदेशी प्रतिभूति के निर्गम अथवा अंतरण पर प्रतिबंध

अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी किए गए निदेशों में अन्यथा प्रावधानित उपबंधों को छोड़कर, भारत में निवास कर रहा कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी प्रतिभूति का निर्गम अथवा अंतरण नहीं करेगा :-

बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक, आवेदन प्राप्त होने पर, भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति को विदेशी प्रतिभूति के निर्गम अथवा अंतरण की अनुमति दे सकता है।

## 4. भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय

भारत में निवासी कोई व्यक्ति

- क) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 के अनुसार निवासी विदेशी मुद्रा खाते में धारित निधियों से विदेशी प्रतिभूति खरीद सकता है;
- ख) अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों के अनुसार धारित विदेशी प्रतिभूतियों पर बोनस शेयर अर्जित कर सकता है;
- ग) जब वह स्थायी रूप से भारत में निवास नहीं कर रहा हो, भारत से बाहर अपने विदेशी मुद्रा संसाधनों से विदेशी प्रतिभूति खरीद सकता है;
- ष) खंड (क), (ख) अथवा (ग) के अंतर्गत खरीदी अथवा अर्जित की गई विदेशी प्रतिभूति को बेच सकता है।

### स्पष्टीकरण :

इस खंड के प्रयोजन के लिए "भारत में स्थायी रूप से निवास नहीं करने वाले" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो किसी निश्चित अविध (कितनी भी क्यों न हो) के रोजगार अथवा किसी विनिर्दिष्ट कार्य अथवा नियत कार्य के लिए भारत में निवास कर रहा हो, जिसकी अविध तीन वर्ष से अधिक न हो।

#### भाग [

## भारत से बाहर प्रत्यक्ष निवेश

## 5. भारत से बाहर प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध

अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी किए गए निदेशों के उपबंधों अथवा रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना,

- भारत में निवास कर रहा कोई व्यक्ति भारत से बाहर कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं करेगा; तथा
- कोई भी भारतीय पार्टी भारत से बाहर भूति भवन अथवा बैंकिंग कारोबार में संलग्न किसी विदेशी संस्था में प्रत्यक्ष निवेश नहीं करेगा।

## कतिपय मामलों में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमित

- 3प-विनियम (2) (वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में विनियम 7) में विनियम कि अधीन, कोई भारतीय पार्टी भारत से बाहर के संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश कर सकती है।
- 2) i) संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता पिछले लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति में भारतीय पार्टी के निवल मूल्य के 100 प्रतिशत से अधिक न हो;

### स्पष्टीकरण :

निवल मूल्य के 100 प्रतिशत की सीमा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित की गणना की जाएगी, अर्थात :

- (क) नेपाल और भूटान के मामले में बाजार खरीद और / अथवा समकक्ष रुपया निवेशों द्वारा नकद प्रेषण
- (ख) विनियम 11 में किए गए उल्लेख के अनुसार निर्यात प्राप्यों और अन्य देय राशियों का पूंजीकरण और हकदारी;
- (ग) संयुक्त उद्यम कंपनी अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों को या उनकी ओर से भारतीय पार्टी द्वारा जारी गारंटियों के मूल्य का पचास प्रतिशत;
- (घ) विदेशी कंपनियों द्वारा अथवा प्रत्यक्ष रूप से कृषि गतिविधियों में निवेश
- (ङ) बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्य मानदंडों के अनुरूप बाह्य वाणिज्यिक उधार

इन विनियमों में दिए गए किसी बात के होते हुए भी पाकिस्तान में निवेश की अनुमति नहीं होगी।

- ii) प्रत्यक्ष निवेश किसी वास्तविक कारोबार कार्यकलाए में कार्यरत विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में किया गया हो।
- iii) भारतीय पार्टी रिजर्व बैंक के निर्यातक सतर्कता सूची/ रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के लिए चूककर्ताओं की सूची में किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय की जांच के अधीन नहीं है;
- iv) भारतीय पार्टी ने अपने सभी विदेशी निवेशों के संबंध में अद्यतन विवरणी फार्म एपीआर में प्रेषित किया है;
- v) भारतीय पार्टी किसी संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में किए गए निवेश से संबंधित सभी लेनदेन प्राधिकृत व्यापारी द्वारा नामित उसकी एक ही शाखा के जरिए करती है।

#### स्पष्टीकरण:

भारतीय पार्टी भारत के बाहर विभिन्न संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्थाओं के लिए प्राधिकृत व्यापारियों की विभिन्न शाखाओं को नामित कर सकती है।

- vi) भारतीय पार्टी विधिवत् भरा गया फार्म ओडीए प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा को प्रस्तुत करती है।
- इस विनियम के अंतर्गत निवेश का निधीयन निम्नलिखित स्रोतों में से किसी एक या अधिक में से किया जा सकता है, अर्थात्
  - i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता)
     विनियमावली, 2000 के विनियम 4 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे
     गए भारतीय पार्टी के मुद्रा अर्जक विदेशी करेंसी खाते में रखी शेष राशि में से;
  - ii) भारत में प्राधिकृत व्यापारी से भारतीय पार्टी की अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को यथा विद्यमान निवल संपत्ति के 100 प्रतिशत तक आहरण; स्पष्टीकरण :निवल परिसंपत्ति के 100 प्रतिशत की सीमा के लिए निम्नलिखित की गणना की जाएगी, अर्थात् :
    - (क) बाजार खरीद द्वारा नकदी विप्रेषण
    - (ख) नियति प्राप्तियों और अन्य देय राशियों तथा विनियम 11 और 12 में उल्लिखित इक्रदारी का पूंजीकरण
    - (ग) भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्णतः स्वामित्वबाली सहायक कंपनी को अथवा उनकी ओर से जारी गारंटियों के मूल्य का 50 प्रतिशत

- (घ) किसी भारतीय कंपनी के शेयरों का निर्गम
- (ङ) बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्य मापदंडों के अनुरूप बाह्य वाणिज्यिक उधार।

#### स्पष्टीकरण :

भारतीय पार्टी की निवल संपित्त की गणना के लिए उसकी धारक कंपनी (जिसका भारतीय पार्टी में कम से कम 51 प्रतिशत स्टेक है) अथवा उसकी धारक कंपनी (जिसमें भारतीय पार्टी का कम-से-कम 51 प्रतिशक स्टेक है) की उतनी ही निवल संपित्त को हिसाब में लिया जाए, जितनी धारक कंपनी अथवा सहायक कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से उपयोग में नहीं लाई गई है और संबंधित भारतीय पार्टी के पक्ष में दावा न की गई पार्टी क रूप में पत्र प्रस्तुत किया गया है।

परंतु आगे शर्त यह है कि उप-खंड (2)(i) में उल्लिखित उच्चतम सीमा, समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखे गए उसके ईईएफसी खाते में रखी शेष राशियों में से किए गए निवेश को लागू नहीं होगी।

- (4) भारतीय पार्टी विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी कंपनी को अथवा उसकी तरफ से, स्वीकार्य वित्तीय प्रतिबद्धता के भीतर ऋण अथवा गारंटी दे सकती है, बशर्ते भारतीय पार्टी ने उक्त संयुक्त उद्यम की ईक्विटी पूंजी में अंशदान के जिरए निवेश किया हो।
- (5) भारतीय पार्टी किसी भी विदेशी प्रतिभूति में बिना किसी सीमा के एडीआर और/ अथवा जीडीआर प्रणाली के माध्यम से अपने शेयरों के अंतरर्राष्ट्रीय ऑफर से होने वाली आय में से सीधा निवेश कर सकती है:-

### वशर्ते

- क) उन्त एडीआर/जीडीआर का निर्गम विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद प्रणाली द्वारा) योजना, 1993 के निर्गम योजना तथा इनके अधीन केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हुआ है;
- ख) भारतीय पार्टी, प्रस्तावित निवेश का पूरा ब्योरा फार्म ओडीए में नामित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करेगी।

- (6)(क) भारत से बाहर किसी वर्तमान कंपनी में भारत से विग्रेषण द्वारा इस विनियम के अधीन निवेश के लिए भारत से बाहर की कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा -
  - (i) निवेश 5(पांच) मिलियन अमरीकी डॉलर होने की स्थिति में सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी I मर्चेंट बैंकर द्वारा अथवा मेजबान देश में उचित नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भारत से बाहर के किसी निवेश बैंकर/ मर्चेंट बैंकर द्वारा ; और
  - (ii) अन्य सभी मामलों में, सनदी लेखाकार अथवा प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा
- (ख) भारत से बाहर किसी वर्तमान कंपनी के शेयरों के अभिग्रहण द्वारा इस विनियम के अधीन निवेश के लिए जहां भारतीय पार्टी के शेयरों के निर्गम द्वारा प्रतिफल का भुगतान पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है, वहां सभी मामलों में मूल्यांकन, सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी। मर्चेंट बैंकर द्वारा अथवा मेजबान देश में उचित नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भारत से बाहर के किसी निवेश बैंकर/ मर्चेंट बैंकर द्वारा किया जाएगा।

## 6 अ कृषि गतिविधियों में विदेशी प्रत्यक्ष अथवा विदेशी कार्यालयों के माध्यम से निवेश की सामान्य अनुमति

भारत में निवासी एक व्यक्ति भारत में निगमित कंपनी अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत कोई भागीदारी फर्म होने पर प्रत्यक्ष अथवा अपने विदेशी कार्यालयों के माध्यम से कृषि में प्रासंगिक भूमि की खरीद सहित अन्य कृषि गतिविधियों में भाग ले सकता है।

### बशर्ते

- (क) भारतीय पार्टी विनियम 6 के अधीन निवेश करने के अन्यथा पात्र है तथा ऐसे निवेश विनियम 6 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार समग्र सीमा के अंदर है।
- (ख) विदेश में भूमि अधिग्रहण द्वारा इस विनियम के अधीन निवेश के लिए भूमि के मूल्यांकन को मेजबान देश में उचित मूल्यांकन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत मूल्यांकक प्रमाणित करता है।

## 6 आ. विदेश में पंजीकृत किसी कंपनी के ईक्विटी में निवेश के लिए सामान्य अनुमति

भारत में निवासी कोई व्यक्ति, व्यक्ति अथवा सूची में स्थान पायी भारतीय कंपनी अथवा भारत में पंजीकृत म्युच्युअल फंड होने के कारण निम्नलिखित में निवेश कर सकता है -

- (क) किसी विदेशी कंपनी के शेयरों में जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सूची में है और जिसके नाम में निवेश के वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में सूची में स्थान पाये किसी भारतीय कंपनी का कम से कम 10% शेयर है।
- (ख) उपर्युक्त (क) की कंपनियों द्वारा जारी निर्धारित बांड/ निर्धारित आय प्रतिभूतियों में बशर्ते
- (i) किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा निवेश के मामले में निवेश, कंपनी के पिछले लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख में निवल संपत्ति के 25% से अधिक न हो ;
- (ii) म्युच्युअल फंड द्वारा निवेश के मामले में, समय-समय पर सेबी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो;
- (iii) विदेशी कंपनी के शेयर अथवा बांड/ प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री संबंधी प्रत्येक लेनदेन भारत के किसी प्राधिकृत व्यापारी के नामित शाखा द्वारा किए जाएंगे।

## 7. वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश

- (1) भाग I में उल्लिखित विनियमों के अधीन, भारतीय पार्टी भारत के बाहर वित्तीय सेवा कार्यों में लगी कोई कंपनी में निवेश कर सकती है : बशर्ते भारतीय पार्टी ने
- (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा कार्यों से निवल लाभ अर्जित किया हो;
- (ii) भारत स्थित विनियामक प्राधिकरण के पास वित्तीय सेवाओं के कार्य करने हेतु पंजीकृत हो;
- (iii) ऐसे वित्तीय सेवा कार्यों के लिए भारत और विदेश दोनों स्थानों में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त किया हो।
- (iv) भारत स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकशील मानदंडों की पूर्ति की हो।
- (2) वित्तीय सेवा क्षेत्र में वर्तमान संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों अथवा इसकी स्टेप डाउन कंपनियों द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त निवेश उप-खंड (1) में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बाद ही किया जाएगा।

## 8. अदला-बदली (स्वैप) अथवा भारतीय कंपनी के शेयरों के विनिमय द्वारा विदेशी प्रतिभूति में निवेश

(1) भारतीय पार्टी वास्तविक कारोबार कार्यकलाए में कार्यरत किसी विदेशी कंपनी को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद प्रणाली के जरिए) योजना, 1993 और उसके अधीन केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के

अनुसार जारी एडीआर/जीडीआर के बदले उस कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण कर सकती है:

### बशर्ते

- क. भारतीय पार्टी ने पहले से ही कोई एडीआर और/अथना जीडीआर जारी किया है और ऐसे एडीआर/जीडीआर अब भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सनेंज में सूचीबद्ध है,
  - भारतीय पार्टी द्वारा ऐसा निवेश भारतीय पार्टी के पिछले वित्तीय वर्ष में भाग I में दिए गए विनियमों के अंतर्गत किए गए समस्त निवेशों सहित पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र में यथा उल्लिखित निर्यात आय की 10 गुना राशि के समतुल्य राशि से अधिक न हो।
- ख. अधिग्रहण के लिए एडीआर और/या जीडीआर का निर्गम भारतीय पार्टी द्वारा जारी पूर्विधिकार प्राप्त नये ईक्विटी शेयरें। द्वारा समर्थित है।
- ग. विस्तारित पूंजीगत आधार में, नये एडीआर और/या जीडीआर निर्गम के बाद भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा भारतीय पार्टी में कुल शेयर धारिता ऐसे निवेश के लिए संगत विनियमों के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रीय सीमा से अधिक न हो,
- घ. विदेशी कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाता है -
  - (i) निवेश बैंकर के सिफारियों के अनुसार यदि शेयर किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो,
  - (ii) विदेश में किसी शेयर बाजार में उन पिछले तीन महीने के लिए जिसमें अधिग्रहण हुआ हो, मासिक औसत मूल्य के आधार पर हुए वर्तमान बाजार पूंजीकरण पर आधारित और इसके अतिरिक्त प्रीमियम, यदि हो, अन्य मामलों में निवेश बैंकर द्वारा उसकी डिलिजेंस रिपोर्ट में अनुशंसित हो,
- (2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत विदेशी कंपनी के शेयरों के अभिग्रहण के बदले एडीआर और/अथवा जीडीआर जारी करने के दिनांक से 30 दिन के भीतर भारतीय पार्टी ओडीजी फार्म में रिजर्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

## 9. कतिपय मामलों में रिजार्व बैंक का अनुमोदन

- विनियम 6 अथवा 7 अथवा 8 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों को पूरा न करने वाली भारतीय पार्टी अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करे।
- भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में अथवा विदेशी कंपनी के शेयरों के बदले में प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए आवेदन यथा लागू फार्म ओडीआइ अथवा फार्म ओडीबी में किए जाएंगे।

- (2अ) उप-विनियम (2) के अंतर्गत फार्म ओडीआइ में किया गया आवेदन
- (क) भारत से बाहर वर्तमान किसी कंपनी में भारत से विप्रेषण के माध्यम से निवेश के लिए भारत से बाहर की कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाएगा -
- i) 5 (पांच) मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के निवेश के मामले में सेबी के साथ पंजीकृत किसी श्रेणी I मर्चेंट बैंकर अथवा मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किसी निवेश बैंकर/ मर्चेंट बैंकर द्वारा; अथवा

ii) अन्य सभी मामलों में, किसी सनदी लेखाकार अथवा किसी प्रमाणिक लोक लेखाकार

- (ख) जहां भारतीय पार्टी के शेयरों के निर्गम द्वारा राशि का भुगतान पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाना है वहां भारत के बाहर की वर्तमान कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण द्वारा निवेश के लिए मूल्यांकन सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी । मर्चेट बैंकर अथवा मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किसी निवेश बैंकर/ मर्चेंट बैंकर द्वारा किया जाएगा।
- (3) उप विनियम (2) के अंतर्गत किए गए आवेदन पर विचार करते समय रिजार्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी ध्यान में रखें :
- क) प्रथम दृष्टया भारत के बाहर के संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की कार्य सक्षमता;
- ख) बाह्य व्यापार में अंशदान और अन्य लाभ जो ऐसे निवेश के माध्यम से भारत अर्जित करेगा;
- ग) भारतीय पार्टी और विदेशी कंपनी की वित्तीय स्थिति और व्यापार ट्रैक रिकार्ड;
- भारत के बाहर संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी की उसी या संबंधित प्रकार की गतिविधियों में भारतीय पार्टी की विशेषज्ञता और अनुभव

## 10. विशिष्ट पहचान संख्या

रिजर्व बैंक भारत से बाहर के प्रत्येक संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को एक विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित करेगा तथा भारतीय पार्टी रिजर्व बैंक और प्राधिकृत व्यापारी के साथ किए जाने वाले प्रत्येक पत्राचार और रिपोर्ट में ऐसी संख्या को उद्भृत (कोट) करेगी।

11. पूंजीकरण द्वारा निवेश

(1) भारतीय पार्टी भाग I के विनियमों के अनुसार विदेशी कंपनी से भारतीय पार्टी को देय राशि के पूर्ण अथवा आंशिक पूंजीकरण के द्वारा भारत के बाहर निम्नलिखित के लिए प्रत्यक्ष निवेश कर सकती हैं:-

- (i) विदेशी कंपनी को संयंत्र मशीनरी, उपकरण तथा अन्य माल/ सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए भुगतान;
- (ii) तकनीकी ज्ञान, परामर्श, प्रबंधकीय अथवा अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए विदेशी कंपनी की ओर से भारतीय कंपनी को देय फीस, रॉयल्टी, कमीशन अथवा अन्य पात्र देय राशियां
  - बशर्ते जहां निर्यात प्राप्य राशियां निर्यात की तारीख से छह माह की अवधि बीत जाने के बाद भी वसूल नहीं हुई है और भारतीय पार्टी की फीस, रॉयल्टी, कमीशन और अन्य हकदारी की वसूली ऐसे भुगतान की नियत तारीख से नहीं की गई है तो रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर ऐसी प्राप्य राशियों का पूंजीकरण नहीं किया जाएगा।
- (2) भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से रिजर्व बैंक के पास आवेदन दाखिल करके संयुक्त उद्यम से करार किए बगैर किसी विदेशी सॉफ्टवेयर स्टार्ट अप कंपनी को निर्यात के मूल्य के 25% तक शेयर के रूप में प्राप्त कर सकता है।

## 12. ईक्विटी के लिए माल का निर्यात - प्रक्रिया

- (1) भारत से बाहर संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में ईक्विटी अंशदान के लिए भारत से माल/ सॉफ्टवेयर/ संयंत्र निर्यात करने वाली भारतीय पार्टी मामले के अनुसार जीआर/एसडीएफ/एसओएफटीईएक्स फार्म में घोषणा करेगी, जिसके ऊपर "संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ईक्विटी सहभागिता के संबंध में निर्यात" लिखा होना चाहिए साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा यदि पहचान संख्या दिया गया हो तो वह नंबर भी कोट किया जाए,
- (2) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 11 में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय पार्टी माल के पोतलदान से 15 दिनों के अंदर प्राधिकृत व्यापारी द्वारा नामित शाखा के माध्यम से इनवायस की कस्टम द्वारा प्रमाणित प्रति रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।
- (3) विनियम 11 के अंतर्गत निर्यातों का लाभ उठाने वाली कोई भारतीय पार्टी, निर्यात से छह महीने के भीतर, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत उससे अधिक अवधि के भीतर रिजर्व बैंक को शेयर प्रमाणपत्र/त्रों अथवा संयुक्त उद्यम या संपूर्ण स्वामित्ववाली, भारत के बाहर स्थित सहायक कंपनी द्वारा जारी किसी दस्तावेज की प्रति/ प्रतियां रिजर्व बैंक के समाधान के लिए प्रस्तुत करेगी जिससे भारतीय पार्टी से निवेश के संबंध में प्रमाण मिले। इसके साथ-साथ अपने निर्धारित प्राधिकृत व्यापारी की शाखा के माध्यम से जीआर/ एसडीएफ/ सॉफ्टेक्स फॉर्म की अनुलिपि भी प्रस्तुत करे।

## 13. मौजूदा संयुक्त उद्यमों/ संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में निवेशोत्तर परिवर्तन/ अतिरिक्त निवेश

उक्त विनियमावली के अनुसार भारतीय पार्टी द्वारा गठित संयुक्त उद्यम/ संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अपनी विदेशी कंपनी के कार्यकलापों में विविधता ला सकती है/ उप सहायक कंपनी गठित कर सकती है / शेयरधारिता के पैटर्न में परिवर्तन कर सकती है, बशर्ते संबंधित भारतीय पार्टी, संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों के ब्योरे मेजबान देश के स्थानीय कानून के अनुसार ऐसी संयुक्त उद्यम/ संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन निर्णयों के अनुमोदन से 30 दिन के भीतर रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करती हो और विनियम 15 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को प्रति वर्ष, जो वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रेषित किया जाना अपेक्षित है उसमें उसका समावेश करती हो।

## 14. बोली लगाने अथवा निविदा क्रियाविधि के जरिए किसी विदेशी कंपनी का अभिग्रहण

- (1) किसी ऐसी भारतीय पार्टी की ओर से, जो उक्त विनियमावली के अधीन भारत के बाहर निवेश करने के लिए पात्र है, प्रस्ताव किए जाने पर प्राधिकृत व्यापारी भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के अभिग्रहण के लिए प्रारंभिक धन जमाराशि के प्रति विप्रेषण की अनुमित दे सकता है अथवा बोली या निविदा क्रियाविधि में सहभागी होने के लिए उसकी तरफ से एक बोली बांड गारंटी जारी कर सकता है,
- (2) भारतीय पाटी बोली जीत जाने पर,
- (i) प्राधिकृत व्यापारी विदेशी कंपनी के अभिग्रहण के लिए और अधिक विप्रेषण की अनुमति दे सकता है, बशर्ते वह विनियम 6 में विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा तक हो; और
- (ii) अंतिम विष्रेषण की तारीख से 30 दिन के भीतर ओडीए फार्म में रिजर्व बैंक को, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (3) उप विनियम (1) के उपबंधों के अंतर्गत न आने वाली भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के अभिग्रहण के लिए बोली लगाने अथवा निविदा क्रियाविधि में सहभागी होने के लिए ओडीआइ फार्म में आवेदन करने पर, रिजर्व बैंक प्रारंभिक धन जमाराशि के प्रति विदेशी मुद्रा के विप्रेषण की अनुमति दे सकता है अथवा भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी को ऐसी शातों के अधीन एक बोली बांड गारंटी जारी करने की अनुमति देगा, जो रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करें।
- (4) यदि भारतीय पार्टी बोली में सफल हो जाती है परंतु भारत के बाहर स्थित कंपनी के अभिग्रहण की शर्तें -

(क) भाग I के विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं या उनसे अलग हैं जिनके लिए उप-विनियम (3) के अधीन अनुमोदन प्राप्त किया गया है, तो भारतीय पार्टी विनियम 9 में विनिर्दिष्ट तरीके से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु रिजर्व बैंक को ओडीआइ फार्म में आवेदन प्रस्तुत करे, अथवा

(ख) भाग I के विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हैं या उप-विनियम (3) के अधीन जिनके लिए अनुमोदन लिया गया है उसी प्रकार की हैं तो भारतीय पार्टी अंतिम विप्रेषण की तारीख से 30 दिन के भीतर रिजर्व बैंक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें लिए गए विप्रेषणों के ब्योरे दिए जाए।

### 15. भारतीय पार्टी का दायित्व

जिस भारतीय पार्टी ने भाग I के विनियमों के अनुसार विदेशी प्रतिभूति प्राप्त की है वह -

- (i) शेयर प्रमाणपत्र अथवा विदेशी कंपनी में निवेश के साक्ष्य के रूप में कोई अन्य दस्तावेज विप्रेषण की तारीख से अथवा जिस तारीख को पूंजीकरण की जाने वाली राशि संबंधित भारतीय पार्टी को देय हो गई उस तारीख से या जिस तारीख को देय राशि का पूंजीकरण किया जाना अनुमत था उस तारीख से छह महीने के भीतर अथवा रिजर्व बैंक इससे अधिक जिस अविध की अनुमित दे उस अविध के भीतर, प्राप्त करे जो रिजर्व बैंक को संतोषजनक लगे।
- (ii) विदेशी कंपनी से प्राप्त सभी देय राशियां, जैसे लाभांश, रॉयल्टी, तकनीकी शुल्क आदि उनके देय हो जाने से 60 दिन के भीतर या रिजर्व बैंक इससे अधिक जिस अविध की अनुमित दे उस अविध के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित करे;
- (iii) संयुक्त उद्यम/ भारत के बाहर स्थित संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों के लेखा-परीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने हेतु मेजबान देश के संबंधित कानूनों द्वारा विहित सांविधिक अविध की समाप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर अथवा रिजर्व बैंक इससे अधिक जिस अविध की अनुमित दे उस अविध के भीतर हर वर्ष रिजर्व बैंक को एक वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट एपीआर फार्म में प्रस्तुत करे जो भारतीय पार्टी द्वारा गठित या अभिगृहीत, प्रत्येक संयुक्त उद्यम या भारत के बाहर स्थित प्रत्येक पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के संबंध में हो। वह अन्य रिपोर्ट और दस्तावेज जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, भी प्रस्तुत करे।

### स्पष्टीकरण

यह अलग-अलग भागीदारों के लिए होगा ताकि वे विदेशी संयुक्त उद्यमों/ संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में, व्यक्तिगत नाम में, फर्म के लिए और फर्म की ओर से शेयर धारण कर सके, यदि मेजबान देश के विनियमों और परिचालनगत आवश्यकताओं के लिए, ऐसी धारिता अनिवार्य हो, बशर्ते ऐसे निवेश के लिए संपूर्ण निधीयन उस फर्म द्वारा किया हो।

## 16. भारत के बाहर संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयरों की बिक्री के जरिए अंतरण

(1) कोई भारतीय पार्टी किसी अन्य भारतीय पार्टी को, जो उक्त विनियम 6 के उपबंधों का पालन करती है, अथवा भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को संयुक्त उद्यम अथवा भारत के बाहर स्थित पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में उसके द्वारा धारित किसी शेयर या प्रतिभूति की बिक्री के जरिए अंतरण कर सकता है।

#### बशर्ते -

- (i) उक्त बिक्री से, किए गए किसी निवेश को बट्टे खाते न डाला जाए।
- (ii) उक्त बिक्री ऐसे किसी शेयर बाजार के माध्यम से की जाए जहाँ संबंधित विदेशी संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हो;
- (iii) यदि शेयर उस शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं और उनका किसी निजी व्यवस्था द्वारा विनिवेश किया जाता है तो शेयर मूल्य किसी सनदी लेखाकार/प्रमाणित सरकारी लेखाकार द्वारा प्रमाणित मूल्य से कम नहीं है क्योंकि शेयरों का उचित मूल्य संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के अद्यतन लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है;
- (iv) संबंधित भारतीय पार्टी की, लाभांश, तकनीकी जानकारी शुल्क, रॉयल्टी, परामर्श सेवा, कमीशन अथवा अन्य अधिकार, और/अथवा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी से निर्यात प्राप्तियों के रूप में बकाया देय राशियां न हों:
- (v) संबंधित विदेशी कंपनी कम-से-कम एक पूर्ण वर्ष के लिए परिचालन में हो और उस वर्ष के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षित लेखा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए हों;
- (vi) संबंधित भारतीय पार्टी सीबीआइ/ईडी/सेबी/आइआरडीए अथवा भारत में अन्य किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा जांच के अधीन न हो ।
- (2) शेयरों/प्रतिभूतियों की बिक्री आय को, उसकी प्राप्ति के बाद तत्काल और किसी भी हालत में शेयरों/प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से 90 दिन तक की अवधि में भारत में प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए तथा इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण, नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (3) जो भारतीय पार्टी उक्त उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट मानदंड को पूरा नहीं कर पाती, उसे संयुक्त उद्यम/भारत के बाहर स्थित पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयरों की

बिक्री द्वारा अंतरण करने की अनुमित प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करना चाहिए, जिसे रिजर्व बैंक कुछ ऐसी शर्तों के अधीन स्वीकार कर सकता है, जिसे बैंक समुचित समझें।

## 17. शेयरों की बिक्री से अंतरण जिसमें बट्टे खाते डलना निहित हो

जहां शेयरों अथवा विनियम 16 के उप विनियम (1) में उल्लिखित प्रतिभूति की, किसी ऐसी भारतीय पार्टी, जो भारत के किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, द्वारा उस शेयर अथवा उस प्रतिभूति में निवेशित राशि से कम मूल्य के लिए बिक्री के माध्यम से अंतरण किया जाता है।

- 1. जहां उक्त मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, भारतीय पार्टी के पिछले वर्ष की वास्तिवक निर्यात वसूली के, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रतिशत से अधिक नहीं होती, वहां भारतीय पार्टी, विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश की गई पूंजी को उक्त अंतर राशि की सीमा तक बट्टे खाते डाले;
- 2. जहां यह अंतर भारतीय पार्टी के पिछले वर्ष की निर्यात वसूली के रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रतिशत से अधिक है वहां भारतीय पार्टी को चाहिए कि वह निवेशित पूंजी को बट्टे खाते डाले जाने हेतु रिजर्व बैंक अनुमित प्राप्त करने के लिए आवेदन करे। ऐसी अनुमित उन शर्तों के अधीन दी जाएगी जिसे रिजर्व बैंक समुचित समझे।

## 18. संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयरों को गिरवी रखना

भारतीय पार्टी, संयुक्त उद्यम अथवा भारत के बाहर स्थित पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में रखे शेयरों को अपने लिए या संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी या भारत स्थित सरकारी वित्तीय संस्था से निधि आधारित या निधीतर सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखकर अंतरित कर सकता है।

#### भाग ॥

## भारत में व्यक्तियों द्वारा विदेश में निवेश

# 19. भारत स्थित स्वामित्व प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्यक्ष निवेश के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमित

भारत स्थित स्वामित्व प्रतिष्ठान भारत से बाहर की कंपनी को प्रदान की गई व्यावसायिक सेवाओं के लिए प्राप्य फीस के बदले में उस कंपनी के शेयरों को स्वीकार करने की अनुमित प्राप्त करने के लिए फार्म ओडीबी में रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकता है। बशर्ते

- (क) भारत के बाहर प्रत्येक कंपनी से प्राप्त शेयरें। का मूल्य उस कंपनी से भारतीय प्रतिष्ठान को प्राप्य फीस के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए; और
- (ख) पूर्वोक्त स्वीकार किए गए शेयरों के कारण भारत से बाहर की किसी एक कंपनी में भारतीय प्रतिष्ठान की शेयर धारिता भारत के बाहर की कंपनी जिसके शेयर स्वीकार किए गए हैं, की प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक नहीं होगा।

### 20. व्यक्ति द्वारा निवेश

- (1) निवासी व्यक्ति विदेशी संस्था को प्रदत्त व्यावसायिक सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में प्रस्तावित विदेशी कंपनी के शेयर के अभिग्रहण की अनुमित के लिए रिजार्व बैंक को आवेदन करे।
- (2) रिजर्व बैंक निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक शर्तों के अधीन अनुमित प्रदान करे :
- (i) व्यक्ति की साख और निवल संपत्ति तथा उसके पेशे का प्रकार;
- (ii) उसके ईईएफसी और/अथवा आरएफसी खातों में विदेशी मुद्रा अर्जन/ शेष की सीमा;
- (iii) विदेशी कंपनी की वित्तीय और कारोबारी ट्रैक रिकार्ड;
- (iv) देश में विदेशी मुद्रा की आवक संभाव्यता;
- (v) देश को संभावित अन्य लाभ।

#### भाग ।।।

## प्रत्यक्ष निवेश से इतर रूप में विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश

## 21. भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति जारी करने पर मनाही

- (1) अधिनियक अथवा उप-विनियम (2) में दिए गए विनियमों में जो कुछ कहा गया है उसको छोड़कर, भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशी प्रतिभूति जारी अथवा उसका अंतरण नहीं कर सकता है;
- (2) भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति, जो भारतीय कंपनी अथवा संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित निगमित निकाय है,
  - (i) अनुसूची I में निर्धारित शर्तों के अधीन और उसके अनुसार भारत के बाहर के निवासी को अधिकतम 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड जारी कर सकता है।
- (ii) रिजर्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से 500 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड जारी कर सकता है।
- (3) उप-विनियम (2) में संदर्भित विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉड जारी करने वाली कंपनी/ निगमित निकाय बॉड जारी करने के 30 दिन के भीतर रिजर्व बैंक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें नीचे दिए गए ब्योरे और दस्तावेज दिए जाएंगे :
  - कुल राशि, जिसके लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड जारी किए गए हैं,
  - ख) भारत के बाहर निवास करने वाले निवेशकों के नाम और उनमें से प्रत्येक को जारी किए गए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की संख्या किए गए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की संख्या कि
- अथवा निवेशकों के भारत में एनआरई/ एफसीएनआर खातीं के नामें द्वारा अथवा निवेशकों के भारत में एनआरई/ एफसीएनआर खातीं के नामें द्वारा अपना समित्र समित्र के अमाणपत्र द्वारा विधिवत् समित्रित)

## 22. कुछ मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद/अभिग्रहण की अनुमति

- प्राप्त कर सकता है :- गाउँ कर स
- ii) भारत से बाहर निगमित कंपनी द्वारा नकदरिहत कर्मचारी शेयर विकल्प योजना के तहत जारी प्रतिभूति के रूप में:-बशर्ते इसके लिए भारत से कोई विप्रेषण न किया गया हो, अथवा
- iii) अभारत में निवास करने वाले अथवा भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति से विरासत के रूप में प्राप्त

1

- (2) भारत में निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति जो विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय अथवा शाखा का अथवा भारत में विदेशी कंपनी अथवा ऐसी भारतीय कंपनी, जिसमें विदेशी ईक्विटी धारिता 51 प्रतिशत से कम न हो, की सहायक कंपनी का कर्मचारी अथवा निदेशक हो वह उक्त विदेशी कंपनी द्वारा ऑफर किए गए ईक्विटी शेयर खरीद सकता है।
- (3) कोई प्राधिकृत व्यापारी उप-विनियम (2) के अनुसार शेयर खरीदने के लिए पात्र व्यक्ति को विप्रेषण की अनुमति दे सकता है, बशर्ते उस उप-विनियम में निर्दिष्ट शर्तें पूरी की जाती हैं।
- (4) भारत में निवासी व्यक्ति उपर्युक्त उप-विनियम (1) और (2) के अनुसार अधिगृहीत शेयरों की बिक्री द्वारा अंतरण कर सकता है

बशर्ते उसकी आय को प्राप्ति के तत्काल बाद प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है और किसी भी स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से 90 दिनों के अंदर।

## 23. भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण

भारत में निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसने अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियां प्राप्त की हों अथवा उनका धारक हो वह भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से निधि आधारित अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उनका गिरवी के रूप में अंतरण कर सकता है।

# 24. योग्यता (क्वालिफिकेशन)/ अधिकार (राइट) शेयरों के रूप में विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए अनुमित

- (1) भारत में निवासी कोई व्यक्ति एक व्यक्ति होने के कारण
- (क) कंपनी में निदेशक का पद धारण करने के लिए भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी द्वारा जारी योग्यता शेयरों के रूप में विदेशी प्रतिभृति का अधिग्रहण कर सकता है :
  - (i) इस प्रकार अधिगृहीत शेयरों की संख्या निदेशक का पद धारण किए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम संख्या हो तथा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 1% से अधिक न हो, और
  - (ii) ऐसे शेयरों के अधिग्रहण की राशि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक न हो।
- (ख) भारत के बाहर निगमित कंपनी में अधिकार शेयरों के रूप में विदेशी प्रतिभूति का अधिग्रहण कर सकता है :

बशर्ते अधिकार शेयर वर्तमान में लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार शेयर धारण करने के कारण जारी किए जा रहे हों।

- (ग) जहां ऐसा व्यक्ति भारतीय प्रवर्तक कंपनी का कर्मचारी या निदेशक है, वह सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारतीय प्रवर्तक की संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी कंपनी के शेयरों की खरीद के रूप में अधिग्रहण कर सकता है; बशर्ते -
- (1) (i) खरीद की राशि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
  - (ii) इस प्रकार से अधिगृहीत शेयर भारत के बाहर संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 5% से अधिक न हो तथा
  - (iii) ऐसे निवेशों के आबंटन के बाद, भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत, उसके कर्मचारियों को आबंटित शेयरों सहित, ऐसे आबंटन के पूर्व भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा धारित शेयरों के प्रतिशत से कम न हो।
- (2) भारत का निवासी होने के कारण उपर्युक्त उप-विनियम (क) अथवा (ख) के अनुसार गोग्यता/ अधिकार शेयरों को धारण करने वाला व्यक्ति इस प्रकार अधिगृहीत शेयरों को पूर्व अनुमोदन के बगैर बेच सकता है, बशर्ते बिक्री आय को बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में प्रत्यावर्तित किया जाता है तथा प्राधिकृत व्यापारी को दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं।
- (3) भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी अपने निवासी कर्मचारियों को (कार्यरत निदेशक सहित) एडीआर/जीडीआर सब्द स्टॉक विकल्प योजना के अधीन विदेशी प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति दे सकता है।

## 25. कतिपय मामलों में रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमित

विनियम 24 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के परंतुक में निर्धारित सीमाओं से अधिक भारत के बाहर स्थित किसी कंपनी के योग्यता शेयरों के अधिग्रहण की इच्छा रखने वाले भारत का निवासी कोई व्यक्ति पूर्व अनुमित के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करे।

## 26. म्युच्युअल फंडों द्वारा निवेश

सेबी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शर्तों के अधीन म्युच्युअल फंड विदेशी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं।

## अनुसूची ।

विनियम 21(2)(i) देखें

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंड (एफ सी सी बी) के निर्गम के लिए स्वत: अनुमोदित मार्ग

- (i) जारी किए जानेवाले विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफ सी सी बी) को भारत सरकार द्वारा समय समय पर यथाघोषित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति (जहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है वहां सेक्टोरियल कैप एवं सेक्टर सहित ) और समय समय पर जारी रिजर्व बैंक के विनियमों / निदेशों के अनुरूप होना होगा।
- (ii) एफ सी सी बी के निर्गम किसी एक वित्तीय वर्ष में 500 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा के अधीन होंगे ।
- (iii) एफ सी सी बी का सार्वजनिक निर्गम अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ख्यातिप्राप्त अग्रणी प्रबंधकों के माध्यम से ही होगा । निजी तौर पर शेयर आबंटन के मामले में शेयर आबंटन निर्गमकर्ता कंपनी के प्रदत्त ईक्विटी पूंजी के 5% की न्यूनतम धारितावाले बैंक अथवा बहुदेशीय और द्विदेशीय वित्तीय संस्थाओं अथवा विदेशी सहभागिता अथवा विदेशी ईक्विटी धारक के पास होगा । गैर मान्यताप्राप्त स्त्रोतों के साथ निजी तौर पर शेयर आंबटन की मनाही है ।
- (iv) एफ सी सी बी की परिपक्वता अवधि कम से कम 5 वर्ष होगी। क्रय विक्रय विकल्प, यदि कोई हो तो वह 5 वर्ष से पहले क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।
- एफ सी सी बी के निर्गम के साथ वारंट को संबद्ध करने की अनुमित नहीं हैं।
- (vi) "समग्र लागत" मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000- आर बी की अनुसूची में विनिर्दिष्ट बाह्य वाणिज्यिक उधार योजना के लिए किए गए निर्धारण के समकक्ष होगी । समग्र लागत में कूपन दर, शोधन (रिडम्शन) प्रीमियम, भुगतान में चूक, वायदा शुल्क (किमटमेंट फीस), फ्रंटिंग फीस यदि कोई हो, शामिल होंगे किंतु इसमें कानून शुल्क, अग्रणी प्रबंधक शुल्क, फुटकर खर्च जैसे निर्गम संबंधी खर्च को शामिल नहीं किया जाएगा।

- (vii) एफ सी सी बी की आय का उपयोग स्टाफ बाजार में निवेश के लिए नहीं किया जाएगा तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनके लिए बाह्य वाणिजिक उधार योजना के अंतर्गत अनुमति दी गई है।
- (viii) औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर संरचनात्मक क्षेत्र में एफ सी सी बी को निवेश की अनुमित दी गई है। तंत्र (मेकानिज्म के माध्यम से जुटाई गई निधियों को वास्तव, में आवश्यकता न होने तक, विदेश में रखा जाए।
- (ix) स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत रुपया खर्च को पूरा करने के लिए एफ सी सी बी की तब तक प्रतिरक्षा (हेजिंग) की जाए जब तक प्रतिभूतिरहित विदेशी मुद्रा प्राप्य राशियों के रूप में सामान्य प्रतिरक्षा उपलब्ध न हो, जिसे प्राधिकृत व्यापारी सुनिश्चित करेगा।
- (x) वित्तीय बिचौलिए (अर्थात् बैंक, विकास वित्तीय संस्था अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) को एफ सी सी बी तक पहुंचने की अनुमित नहीं दी जाएगी सिवाय उन बैंकों और वित्तीय बिचौलियों के, जो सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के टेक्सटाइल अथवा इस्पात के क्षेत्र के पुनर्सरंचना में अपनी सीमा के अधीन सहभागी हुए हैं।
- (xi) एफ सी सी बी निर्गम के लिए बैंक, वित्तीय संस्थाएं, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियां गारंटी / लेटर ऑफ कम्फर्ट नहीं देंगी ।
- (xii) निर्गम संबंधी खर्च, निर्गम के आकार के 4% से अधिक नहीं होगा और निजी तौर पर शेयरों के आबंटन के मामलें में निर्गम आकार के 2% से अधिक नहीं होगा।
- (xiii) जारीकर्ता कंपनी निर्गम पूर्ण होने के 30 दिन के अंदर प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निम्नलिखित के ब्योरे और दस्तावेज देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें :
  - (क) जारी किए गए एफसीसीबी की कुल राशि
  - (ख) भारत के बाहर के निवासी निवेशकर्ताओं के नाम और उनमें से प्रत्येक को जारी एफसीसीबी की संख्या.

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-III] श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक पाद टिप्पणी:मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के जी.एस.आर. सं.456(E) में भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित के अनुसार जी.एस.आर. द्वारा संशोधित किए गए हैं:

क्रम सं.	जी.एस.आर. सं.	दिनांक
1.	157(E)	2.3.2001
2.	258(E)	9.4.2002
3.	259(E)	9.4.2002
4	263(E)	9.4.2002
5.	265(E)	9.4.2002
6.	475(E)	8.7.2002
7.	34(E)	16.1.2003
8.	629(E)	4.8.2003
9.	399(E)	14.5.2003

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

**NOTIFICATION** 

Mumbai, the 7th July, 2004

No. FEMA 120/RB-2004

G.S.R. 757(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of Notification No. FEMA 19/RB 2000 dated 3rd May, 2000, as amended from time to time the Reserve Bank resident in India, namely:—

## 1. Short title and commencement

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2004.

ii) They shall come in force from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- a) "Act" means Foreign Exchange Management Act, 1999, (42 of 1999):
- b) "authorised dealer" means a person authorised as an authorised dealer under sub section (1) of section 10 of the Act;
- c) "American Depository Receipt" (ADR) means a security issued by a bank or a depository in United States of America (USA) against underlying rupee shares of a company incorporated in India;
- d) 'Core Activity' means an activity carried on by an Indian entity turnover wherefrom constitutes not less than 50% of its total turnover in the previous accounting year;
- e) "Direct investment outside India" means investment by way of contribution to the capital or subscription to the Memorandum of Association of a foreign entity or by way of purchase of existing shares of a foreign entity either by market purchase or private placement or through stock exchange, but does not include portfolio investment.
- f) "Financial commitment" means the amount of direct investment by way of contribution to equity and loan and 50 per cent of the amount of guarantees issued by an Indian party to or on behalf of its overseas Joint Venture Company or Wholly Owned Subsidiary;
- g)"Foreign Currency Convertible Bond" (FCCB) means a bond issued by an Indian company expressed in foreign currency, and the principal and interest in respect of which is payable in foreign currency;

- h)"Form" means the forms annexed to these Regulations;
- i) "Global Depository Receipt" (GDR) means a security issued by a bank or a depository outside India against underlying rupee shares of a company incorporated in India;
- j) "Host country" means the country in which the foreign entity receiving the direct investment from an Indian party is registered or incorporated;
- k) "Indian party" means a company incorporated in India or a body created under an Act of Parliament or a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 making investment in a Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary abroad, and includes any other entity in India as may be notified by the Reserve Bank: -

Provided that when more than one such company, body or entity make an investment in the foreign entity, all such companies or bodies or entities shall together constitute the "Indian party"

- 1) "Investment banker" means an Investment banker registered with the Securities and Exchange Commission in USA, or the Financial Services Authority in UK, or appropriate regulatory authority in Germany, France, Singapore or Japan;
- m) "Joint Venture (JV)" means a foreign entity formed, registered or incorporated in accordance with the laws and regulations of the host country in which the Indian party makes a direct investment;
- n) "Mutual Fund" means a Mutual Fund referred to in clause (23D) of section 10 of the Income Tax Act, 1961;
- o) Net worth' means paid up capital and free reserves;
- p) "Real estate business" means buying and selling of real estate or trading in Transferable Development Rights (TDRs) but does not include development of townships, construction of residential/commercial premises, roads or bridges;
- q) "Wholly Owned Subsidiary (WOS)" means a foreign entity formed, registered or incorporated in accordance with the laws and regulations of the host country, whose entire capital is held by the Indian party;
- r) "Agricultural Operations" means agricultural operations as defined in the 'National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981
- s) Words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

## 3. Prohibition on issue or transfer of foreign security

Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made or directions issued thereunder, no person resident in India shall issue or transfer any foreign security: -

Provided that the Reserve Bank may, on application made to it, permit any person resident in India to issue or transfer any foreign security.

### 4. Purchase and sale of foreign security by a person resident in India

A person resident in India

- a) may purchase a foreign security out of funds held in Resident Foreign Currency (RFC) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts) Regulations, 2000;
- b) may acquire bonus shares on the foreign securities held in accordance with the provisions of the Act or rules or regulations made thereunder;
- c) when not permanently resident in India, may purchase a foreign security from out of his foreign currency resources outside India;
- d) may sell the foreign security purchased or acquired under clauses (a), (b) or (c).

#### **Explanation:**

For the purpose of this clause, 'not permanently resident' means a person resident in India for employment of a specified duration (irrespective of length thereof) or for a specific job or assignment, the duration of which does not exceed three years.

#### Part I

#### **Direct Investment outside India**

#### 5. Prohibition on Direct Investment outside India

Save as otherwise provided in the Act, rules or regulations made or directions issued thereunder, or with prior approval of the Reserve Bank,

- (1) no person resident in India shall make any direct investment outside India; and
- (2) no Indian party shall make any direct investment in a foreign entity engaged in real estate business or banking business.

#### 6. Permission for Direct Investment in certain cases

(1) Subject to the conditions specified in sub-regulation (2), (and Regulation 7 in case investment in financial services sector) an Indian party may

make direct investment in a Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India.

(2) (i) The total financial commitment of the Indian party in Joint Ventures/Wholly Owned Subsidiaries shall not exceed 100% of the net worth of the Indian Party as on the date of the last audited balance sheet;

**Explanation**: - For the purpose of the limit of 100% of the net worth the following shall be reckoned, namely:

- (a) cash remittance by market purchase and /or equivalent rupee investments in case of Nepal and Bhutan
- (b) capitalisation of export proceeds and other dues and entitlements as mentioned in Regulation 11;
- (c) fifty per cent of the value of guarantees issued by the Indian party to or on behalf of the joint venture company or wholly owned subsidiary.
- (d) investment in agricultural operations through overseas offices or directly
- (e) External Commercial Borrowing in conformity with other parameters of the ECB guidelines

Notwithstanding anything contained in these Regulations investment in Pakistan shall not be permitted.

- (ii) The direct investment is made in an overseas JV or WOS engaged in a bonafide business activity.
- (iii) The Indian Party is not on the Reserve Bank's Exporters caution list /list of defaulters to the banking system circulated by the Reserve Bank or under investigation by any investigation /enforcement agency or regulatory body.
- (iv) The Indian party has submitted up to date returns in form APR in respect of all its overseas investments;
- (v) The Indian Party routes all transactions relating to the investment in a Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary through only one branch of an authorised dealer to be designated by it.

#### **Explanation: -**

The Indian Party may designate different branches of authorised dealers for different Joint Ventures/Wholly Owned Subsidiaries outside India.

(vi) The Indian Party submits form ODΛ, duly completed, to the designated branch of an authorised dealer.

- (3) Investment under this Regulation may be funded out of one or more of the following sources, namely: -
- out of balance held in the Exchange Earners' Foreign Currency account of the Indian party maintained with an authorised dealer in accordance with Regulation 4 of Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2000;
- ii) drawal of foreign exchange from an authorised dealer in India not exceeding 100 % of the net worth of the Indian Party as on the date of last audited balance sheet;
  - Explanation: For the purpose of the limit of 100% of the net worth the following shall be reckoned, namely:
  - (a) cash remittance by market purchase
  - (b) capitalisation of export proceeds and other dues and entitlements as mentioned in Regulation 11 and 12;
  - (c) fifty per cent of the value of guarantees issued by the Indian party to or on behalf of the Joint Venture company or Wholly Owned Subsidiary
  - (d) utilisation of the amount raised by issue of ADRs/GDRs by the Indian party;
  - (e) External Commercial Borrowing in conformity with other parameters of the ECB guidelines.

#### **Explanation:**

for the purpose of reckoning net worth of an Indian party, the net worth of its holding company (which holds at least 51% stake in the Indian Party) or its subsidiary company (in which the Indian party holds at least 51% stake) may be taken into account to the extent not availed of by the holding company or the subsidiary independently and has furnished a letter of disclaimer in favour of the Indian Party;

**Provided** further that the ceiling mentioned in sub-clause (2)(i) shall not apply where the investment is made out of balances held in its EEFC account, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, as amended from time to time.

(4) An Indian Party may extend a loan or a guarantee to or on behalf of the Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary abroad, within the permissible financial commitment, provided that the Indian Party has

- made investment by way of contribution to the equity capital of the Joint Venture.
- (5) An Indian Party may make direct investment without any limit in any foreign security out of the proceeds of its international offering of shares through the mechanism of ADR and/or GDR:

#### Provided that

- (a) the ADR/GDR issue has been made in accordance with the Scheme for issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (through Depository Receipt Mechanism) Scheme 1993 and the guidelines issued thereunder from time to time by the Central Government;
- (b) the Indian Party files with the designated authorised dealer in form ODA full details of the investment proposed.
- (6)(a) For the purposes of investment under this Regulation by way of remittance from India in an existing company outside India, the valuation of shares of the company outside India shall be made, -
  - (i) where the investment is more than USD 5 (Five) million, by a Category I Merchant Banker Registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI), or an Investment Banker/Merchant Banker outside India registered with the appropriate regulatory authority in the host country; and
  - (ii) in all other cases, by a Chartered Accountant or a Certified Public Accountant.
- (b) For the purposes of investment under this Regulation by acquisition of shares of an existing company outside India where the consideration is to be paid fully or partly by issue of the Indian party's shares, the valuation of shares of the company outside India shall in all cases, be carried out by a Category I Merchant Banker registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) or an Investment Banker/Merchant Banker outside India registered with the appropriate regulatory authority in the host country.

## 6A General Permission for Investment in Agricultural Operations Overseas Directly or through Overseas Offices

A person resident in India being a company incorporated in India or a partnership firm registered under Indian Partnership Act, 1932, may undertake agricultural operations including purchase of land incidental to such activity either directly or through their overseas offices;

#### Provided that

(a)the Indian party is otherwise eligible to make investment under Regulation 6 and that such investment is within the overall limits as specified in Regulation 6.

(b) for the purposes of investment under this regulation by acquisition of land overseas the valuation of the land is certified by a certified valuer registered with the appropriate valuation authority in the host country.

## 6B. General Permission for Investment in Equity of a Company Registered Overseas

A person resident in India, being an individual or a listed Indian company or a mutual fund registered in India, may invest in

- (a) the shares of an overseas company which is listed on a recognised stock exchange and has in its name share holding of not less than 10% in any listed Indian company as on 1<sup>st</sup> January of the year of investment
- (b) the rated bonds/ fixed income securities issued by companies at (a) above:

#### Provided that-

- (i) in the case of investment by a listed Indian company, the investment shall not exceed 25% of its net worth as on the date of its last audited balance sheet:
- (ii) in the case of investment by a Mutual Fund, the investment shall not exceed the ceiling stipulated by Securities & Exchange Board of India (SEBI) from time to time;
- (iii) every transaction relating to purchase and sale of shares of the overseas company or bonds/ securities shall be routed through the designated branch of an authorised dealer in India.

### 7. Investment in Financial Services Sector

- (1)Subject to the Regulations in Part I, an Indian party may make investment in an entity outside India engaged in financial services activities: Provided that the Indian party
- (i) has earned net profit during the preceding three financial years from the financial services activities;
- (ii) is registered with the regulatory authority in India for conducting the financial services activities;
- (iii) has obtained approval from the concerned regulatory authorities both in India and abroad, for venturing into such financial sector activity;
- (iv) has fulfilled the prudential norms relating to capital adequacy as prescribed by the concerned regulatory authority in India.

(2) any additional investment by an existing JV/WOS or its step down company in the Financial Services Sector shall be made only after complying with the conditions stipulated in sub-clause (1).

## 8. Investment in a foreign security by swap or exchange of shares of an Indian company

(1) An Indian Party may acquire shares of a foreign company, engaged in bonafide business activity in exchange of ADRs/GDRs issued to the latter in accordance with the scheme for issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993, and the guidelines issued thereunder from time to time by the Central Government;

#### Provided that

- a. the Indian Party has already made an ADR and / or GDR issue and that such ADRs/GDRs are currently listed on any stock exchange outside India;
  - such investment by the Indian Party does not exceed amount equivalent to 10 times the export earnings of the Indian Party during the preceding financial year as reflected in its audited balance-sheet, inclusive of all investments made under Regulations in Part I.
- b. the ADR and/or GDR issue for the purpose of acquisition is backed by underlying fresh equity shares issued by the Indian Party;
- c. the total holding in the Indian Party by persons resident outside India in the expanded capital base, after the new ADR and/or GDR issue, does not exceed the sectoral cap prescribed under the relevant regulations for such investment;
- d. the valuation of the shares of the foreign company is made, -
  - (i)as per the recommendations of the Investment Banker if the shares are not listed on any stock exchange; or
  - (ii) based on the current market capitalization of the foreign company arrived at on the basis of monthly average price on any stock exchange abroad for the three months preceding the month in which the acquisition is committed and over and above, the premium, if any, as recommended by the Investment Banker in its due diligence report in other cases.
- (2) Within 30 days from the date of issue of ADRs and/or GDRs in exchange for acquisition of shares of the foreign company under sub-regulation (1), the Indian Party shall submit a report in form ODG to the Reserve Bank.

#### 9. Approval of the Reserve Bank in certain cases

- (1) An Indian Party, which does not satisfy the eligibility norms under Regulations 6 or 7 or 8, may apply to the Reserve Bank for approval.
- (2) Application for direct investment in Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary outside India, or by way of exchange for shares of a foreign company, shall be made in Form ODI, or in Form ODB, as applicable.
- (2A) An application made under sub-regulation (2) in Form ODI
- (a) for the purpose of investment by way of remittance from India, in an existing company outside India, shall be accompanied, by the valuation of shares of the company outside India, made-
  - (i) where the investment is more than USD 5 (five) million, by a Category I Merchant Banker registered with SEBI or an Investment Banker/Merchant Banker registered with the appropriate regulatory authority in the host country; and
  - (ii) in all other cases, by a Chartered Accountant or a Certified Public Accountant.
- (b) for the purposes of investment by acquisition of shares of an existing company outside India where the consideration is to be paid fully or partly by issue of the Indian party's shares, shall be accompanied by the valuation carried out by a Category I Merchant Banker registered with the SEBI or an Investment Banker/Merchant Banker registered with the appropriate regulatory authority in the host country.
- (3) The Reserve Bank may, inter alia, take into account following factors while considering the application made under sub-regulation (2):
  - a) Prima facie viability of the Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary outside India;
  - b) Contribution to external trade and other benefits which will accrue to India through such investment;
  - c) Financial position and business track record of the Indian Party and the foreign entity;
  - d) Expertise and experience of the Indian Party in the same or related line of activity of the Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India.

### 10. Unique Identification Number

Reserve bank will allot a unique Identification Number for each Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India and the Indian Party shall quote such number in all its communications and reports to the Reserve Bank and the authorised dealer.

### 11. Investment by capitalization

- (1) An Indian Party may make direct investment outside India in accordance with the Regulations in Part I by way of capitalisation in full or part of the amount due to the Indian Party from the foreign entity towards: -
- (i) payment for export of plant, machinery, equipment and other goods/software to the foreign entity;
- (ii) fees, royalties, commissions or other entitlements due to the Indian Party from the foreign entity for the supply of technical know-how, consultancy, managerial or other services

Provided that where the export proceeds have remained unrealised beyond a period of six months from the date of export, and fees, royalties, commissions or other entitlements of the Indian party have remained unrealised from the date on which such payment is due, such proceeds shall not be capitalised without the prior permission of the Reserve Bank.

(2) An Indian Software exporter may receive in the form of shares upto 25% of the value of exports to an overseas software start up company without entering into JV agreement by filing an application with the Reserve Bank through the Authorised Dealer

## 12. Export of Goods towards Equity- Procedure

- (1) An Indian Party exporting goods/software/plant and machinery from India towards equity contribution in a Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India shall declare it on GR/SDF/SOFTEX form, as the case may be, which shall be superscribed as "Exports against equity participation in the JV/WOS abroad", and also quoting Identification Number, if already allotted by Reserve Bank.
- (2) Notwithstanding anything contained in Regulation 11 of the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, the Indian Party shall, within 15 days of effecting the shipment of the goods, submit to the Reserve Bank a custom certified copy of the invoice through the branch of an authorised dealer designated by it.

(3) An Indian Party capitalising exports under Regulation 11 shall, within six months from the date of export, or any further time as allowed by Reserve Bank, submit to Reserve Bank copy/ies of the share certificate/s or any document issued by the Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India to the satisfaction of Reserve Bank evidencing the investment from the Indian Party together with the duplicate of GR/SDF/SOFTEX form through the branch of an authorised dealer designated by it.

## 13.Post investment changes/additional investment in existing JV/WOS

A JV/WOS set up by the Indian party as per the Regulations may diversify its activities / set up step down subsidiary/ alter the shareholding pattern in the overseas entity

Provided the Indian party reports to the Reserve Bank, the details of such decisions taken by the JV/WOS within 30 days of the approval of those decisions by the competent authority concerned of such JV/WOS in terms of local laws of the host country, and, include the same in the Annual Performance Report required to be forwarded annually to the Reserve Bank in terms of Regulation 15.

## 14. Acquisition of a foreign company through bidding or tender procedure

- (1)On being approached by an Indian Party, which is eligible under the Regulations to make investment outside India, an authorised dealer may allow remittance towards earnest money deposit or issue a bid bond guarantee on its behalf for participation in bidding or tender procedure for acquisition of a company incorporated outside India,
- (2) On the Indian Party winning the bid,
  - (i) the authorised dealer may allow further remittances towards acquisition of the foreign company, subject to the ceilings specified in Regulation 6; and
  - (ii) the Indian Party shall submit through the authorised dealer concerned a report to the Reserve Bank in form ODA within 30 days of effecting the final remittance.
- (3) For participation in bidding or tender procedure for acquisition of a company incorporated outside India which does not fall within the provisions of sub-regulation (1), the Reserve Bank may, on application in

- Form ODI, allow remittance of foreign exchange towards earnest money deposit or permit the authorised dealer in India to issue a bid bond guarantee, subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may stipulate.
- (4) In case the Indian Party is successful in the bid but the terms and conditions of acquisition of a company outside India are,-
  - (a) not in conformity with the provisions of Regulations in Part I, or different from those for which approval under sub-regulation (3) was obtained, the Indian Party shall submit application in form ODI to Reserve Bank for obtaining approval for the foreign direct investment in the manner specified in Regulation 9, or
  - (b) in conformity with the provisions of the Regulations in Part I or are same as those for which approval under sub-regulation (3) was obtained, the Indian Party shall submit a report to the Reserve Bank, giving details of the remittances made, within 30 days of effecting the final remittance.

#### 15. Obligations of the Indian Party

An Indian Party, which has acquired foreign security in terms of the Regulations in Part- I, shall –

- (i) receive share certificates or any other document as an evidence of investment in the foreign entity to the satisfaction of the Reserve Bank within six months, or such further period as Reserve Bank may permit, from the date of effecting remittance or the date on which the amount to be capitalised became due to the Indian Party or the date on which the amount due was allowed to be capitalised;
- (ii) repatriate to India, all dues receivable from the foreign entity, like dividend, royalty, technical fees etc., within 60 days of its falling due, or such further period as the Reserve Bank may permit;
- (iii) submit to the Reserve Bank every year within 60 days from the date of expiry of the statutory period as prescribed by the respective laws of the host country for finalisation of the audited accounts of the Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary outside India or such further period as may be allowed by Reserve Bank, an annual performance report in form APR in respect of each Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India set up or acquired by the Indian Party and other reports or documents as may be stipulated by the Reserve Bank.

#### **Explanation**

It will be in order for individual partners to hold shares for and on behalf of the firm in an overseas JV/WOS in the individual name if the host country regulations or operational requirements warrant such holdings, subject to the condition that the entire funding for such investment is done by the firm.

#### 16. Transfer by way of sale of shares of a JV/WOS outside India

(1) An Indian party may transfer by way of sale to another Indian party who complies with the provisions of Regulation 6 above, or to a person resident outside India, any share or security held by him in a Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India

#### Provided that

- (i) The sale does not result in any write off of the investment made.
- (ii) the sale is effected through a stock exchange where the shares of the overseas Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary are listed;
- (iii) if the shares are not listed on the stock exchange, and the shares are disinvested by a private arrangement, the share price is not less than the value certified by a Chartered Accountant /Certified Public Accountant as the fair value of the shares based on the latest audited financial statements of the Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary:
- (iv)The Indian party does not have any outstanding dues by way of dividend, technical know-how fees, royalty, consultancy, commission or other entitlements, and/or export proceeds from the Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary;
- (v)The overseas concern has been in operation for at least one full year and the Annual Performance Report together with the audited accounts for that year has been submitted to the Reserve Bank;
- (vi)The Indian party is not under investigation by CBI/ED/SEBI/IRDA or any other regulatory authority in India.
- (2)Sale proceeds of shares/securities shall be repatriated to India immediately on receipt thereof and in any case not later than 90 days from the date of sale of the shares/securities and documentary evidence to this effect shall be submitted to the Regional office of the Reserve Bank through the designated authorized dealer.
- (3) An Indian party, which does not satisfy the criteria specified at sub regulation (1) above, shall apply to the Reserve Bank for permission to transfer by way of sale of shares of a JV/WOS outside India which may be

granted subject to such conditions as the Reserve Bank may consider appropriate.

### 17. Transfer by way of Sale of Shares involving Write -off

Where the transfer by way of sale of shares or security referred to in sub regulation (1) of Regulation 16 by any Indian party listed on any stock exchange in India, is for a price less than the amount invested in the share or the security transferred, -

1. where the difference between the said value and the sale price does not exceed the percentage approved by the Reserve Bank, from time to time, of the Indian party's actual export realisation of the previous year, the Indian party may write off to the extent of the difference, the capital invested in the overseas JV/WOS;

2.where such difference is more than the percentage approved by the Reserve Bank, from time to time, of the Indian party's actual export realisation of the previous year, the Indian party shall apply to the Reserve Bank for permission to write -off the capital invested, which permission may be granted subject to such conditions as the Reserve Bank considers appropriate.

## 18.Pledge of Shares of Joint Ventures and Wholly Owned Subsidiaries

An Indian Party may transfer, by way of pledge, shares held in a Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India as a security for availing of fund based or non-fund based facilities for itself or for the Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary from an authorised dealer or a public financial institution in India.

## Part II Investments abroad by Individuals in India

## 19. Prior Permission of the Reserve Bank for Direct Investment by a Proprietary Concern in India

A proprietary concern in India may apply to the Reserve Bank in Form ODB for permission to accept shares of a company outside India in lieu of fees due to it for professional services rendered to the said company.

#### Provided that: -

- (a) the value of the shares accepted from each company outside India shall not exceed fifty per cent of the fees receivable by the Indian concern from that company; and
- (b) the Indian concern's shareholding in any one company outside India by virtue of shares accepted as aforesaid shall not exceed ten per cent of the paid-up capital of the company outside India, whose shares are accepted.

#### 20.Investment by Individuals

- (1) A Resident individual may apply to the Reserve Bank for permission to acquire shares in a foreign entity offered as consideration for professional services rendered to the foreign entity.
- (2) Reserve Bank may, after taking into account, inter alia the following factors, grant permission subject to such terms and conditions as are considered necessary:
- (i) credentials and net worth of the individual and the nature of his profession.
- (ii) the extent of his forex earnings/balances in his EEFC and/or RFC account:
- (iii) financial and business track record of the foreign entity;
- (iv) potential for forex inflow to the country;
- (v) other likely benefits to the country.

#### Part III

## Investments in Foreign Securities other than by way of Direct Investment

#### 21. Prohibition on issue of foreign security by a person resident in India.

- (1) Save as otherwise provided in the Act or in sub-regulation (2), no person resident in India shall issue or transfer a foreign security.
- (2) A person resident in India, being an Indian Company or a Body Corporate created by an Act of Parliament.

i)may issue FCCBs not exceeding USD 500 million to a person resident outside India in accordance with and subject to the conditions stipulated in Schedule I.

- ii) may issue FCCBs beyond US \$ 500 million with the specific approval of the Reserve Bank.
- (3) The company/body corporate referred to in sub-regulation (2), issuing the FCCBs shall, within 30 days from the date of issue, furnish a report to the Reserve Bank giving the details and documents as under:
  - a) Total amount for which FCCBs have been issued,
  - b) Names of the investors resident outside India and number of FCCBs issued to each of them.
  - c) The amount repatriated to India through normal banking channels and/or the amount received by debit to NRE/FCNR accounts in India of the investors (duly supported by bank certificate).

## 22. Permission for purchase /acquisition of foreign securities in certain cases

- (1) A person resident in India being an individual may acquire foreign securities:
  - i) by way of gift from a person resident outside India; or
  - ii) issued by a company incorporated outside India under Cashless Employees Stock Option Scheme:-
    - Provided it does not involve any remittance from India, or
  - iii) by way of inheritance from a person whether resident in or outside. India.
- (2) A person resident in India, being an individual, who is an employee or a director of Indian office or branch of a foreign company or of a subsidiary in

7

India of a foreign company or of an Indian company in which foreign equity holding is not less than 51 per cent, may purchase the equity shares offered by the said foreign company.

- (3) An authorised dealer may allow the remittance by the person eligible to purchase the shares in terms of sub-regulation (2): Provided that the condition specified in that sub-regulation is fulfilled.
- (4) A person resident in India may transfer by way of sale the shares acquired in terms of sub-regulation (1) and (2) above

Provided that the proceeds thereof are repatriated immediately on receipt thereof and in any case not later than 90 days from the date of sale of such securities.

#### 23. Transfer of a foreign security by a person resident in India

A person resident in India, who has acquired or holds foreign securities in accordance with the provisions of the Act, rules or regulations made thereunder, may transfer them by way of pledge for obtaining fund based or non-fund based facilities in India from an authorised dealer.

## 24. General Permission for Acquisition of foreign securities as qualification / rights shares

- (1) A person resident in India being an individual may
- (a) acquire foreign securities as qualification shares issued by a company incorporated outside India for holding the post of a director in the company:

Provided that, -

- (i) the number of shares so acquired shall be the minimum required to be held for holding the post of director and in any case shall not exceed 1 per cent of the paid-up capital of the company, and
- (ii) the consideration for acquisition of such shares does not exceed the ceiling as stipulated by RBI from time to time.
- (b) acquire foreign securities by way of rights shares in a company incorporated outside India:

Provided that the right shares are being issued by virtue of holding shares in accordance with the provisions of the law for the time being in force.

(c) where such person is an employee or a director of the Indian promoter company, acquire by way of purchase shares of a Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India of the Indian promoter company, in the field of software;

#### Provided that -

- (1) (i) the consideration for purchase does not exceed the ceiling as stipulated by RBI from time to time.
  - (ii) the shares so acquired do not exceed 5% of the paid-up capital of the Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India, and
  - (iii) after allotment of such shares, the percentage of shares held by the Indian promoter company, together with shares allotted to its employees is not less than the percentage of shares held by the Indian promoter company prior to such allotment.
- (2) A person resident in India, being an individual holding qualification /rights shares in terms of sub regulations (a) or (b) above may sell the shares so acquired, without prior approval, provided the sale proceeds are repatriated to India through banking channels and documentary evidence is submitted to the authorized dealer.
- (3) An Indian software company may allow its resident employees (including working directors) to purchase foreign securities under the ADR/GDR linked stock option schemes:-

Provided that the consideration for purchase does not exceed the ceiling as stipulated by RBI from time to time.

#### 25. Prior permission of Reserve Bank in certain cases

A person resident in India being an individual seeking to acquire qualification shares in a company outside India beyond the limits laid down in the proviso to clause (a) of sub-regulation (1) of Regulation 24 shall apply to the Reserve Bank for prior approval.

#### 26. Investment by Mutual Funds

Mutual Funds may purchase foreign securities subject to such terms and conditions as it may be notified by SEBI from time to time.

#### Schedule I

# See Regulation 21 (2)(i) Automatic Route for Issue of Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs)

- (i) The FCCBs to be issued will have to conform to the Foreign Direct Investment Policy (including Sectoral Cap and Sectors where FDI is permissible) of the Government of India as announced from time to time and the Reserve Bank's Regulations/directions issued from time to time.
- (ii) The issue of FCCBs shall be subject to a ceiling of USD 500 million in any one

financial year.

- (iii) Public issue of FCCBs shall be only through reputed lead managers in the international capital market. In case of private placement, the placement shall be with banks, or with multilateral and bilateral financial institutions, or foreign collaborators, or foreign equity holder having a minimum holding of 5% of the paid up equity capital of the issuing company. Private placement with unrecognized sources is prohibited.
- (iv) The maturity of the FCCB shall not be less than 5 years. The call & put option, if any, shall not be exercisable prior to 5 years.
- (v) Issue of FCCBs with attached warrants is not permitted.
- (vi) The "all in cost" will be on par with those prescribed for External Commercial Borrowing (ECB) schemes specified in the Schedule to Notification No: FEMA 3/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May 2000. The "all in cost" shall include coupon rate, redemption premium, default payments, commitment fees, and fronting fees, if any, but shall not include the issue related expenses such as legal fees, lead managers fees, out of pocket expenses.
- (vii) The FCCB proceeds shall not be used for investment in Stock Market, and may be used for such purposes for which ECB proceeds are permitted to be utilized under the ECB schemes.
- (viii) FCCBs are allowed for corporate investments in industrial sector, especially infrastructure sector. Funds raised through the mechanism may be parked abroad unless actually required.
- (ix) FCCBs for meeting rupee expenditure under automatic route to be hedged unless there is a natural hedge in the form of uncovered foreign exchange receivables, which will be ensured by Authorised Dealers.

- (x) Financial intermediaries (viz. a bank, DFI, or NBFC) shall not be allowed access to FCCBs, except those Banks and financial intermediaries that have participated in the Textile or Steel Sector restructuring package of the Government/RBI subject to the limit of their investment in the package.
- (xi) Banks, FIs, NBFCs shall not provide guarantee/letter of comfort etc. for the FCCB issue.
- (xii) The issue related expenses shall not exceed 4% of issue size and in case of private placement, shall not exceed 2% of the issue size.
- (xiii) The issuing entity shall, within 30 days from the date of completion of the issue, furnish a report to the concerned Regional Office of the Reserve Bank of India through a designated branch of an Authorized Dealer giving the details and documents as under:
  - (a) The total amount of the FCCBs issued,
  - (b) Names of the investors resident outside India and number of FCCBs issued to each of them

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. III]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.456(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended vide G.S.R.Nos. as indicated below:

Sr.No.	G.S.R.No.	Date
1.	157(E)	2.3.2001
2.	258(E)	9.4.2002
3.	259(E)	9.4.2002
4.	263(E)	9.4.2002
5.	265(E)	9.4.2002
6.	475(E)	8.7.2002
7.	34(E)	16.1.2003
8.	629(E)	4.8.2003
9.	399(E)	14.5.2003